150

F o

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, (म0प्र0)

R - 184 - III / 2012

राजकुमार तनय रामकुमार विश्वकर्मा निवासी–ग्राम–तपा तहसील–रामपुर बघेलान जिला–सतना (म0प्र0)

............निगरानीकर्ता

बनाम्

सुशील कुमार शुक्ला तनय रामबहादुर शुक्ला निवासी–ग्राम–तपा तहासील–रामपुर बघेलान जिला–सतना (म0प्र0)

........गैरनिगारानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश–श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा
प्रकरण कमांक–452/निगरानी/09–10
अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राज संहिता

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैः–

1. यहकि अधीनस्त न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही विधि एंव प्रकिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी योग्य है।
2. यहकि अधीनस्त न्यायालय तहसील–रामपुर बघेलान जिला सतना में प्रकरण धारा–131,132,151 भू–राज संहिता के तहत रास्ता आराजी नम्बर–815 में खोलवाए जाने बावत् था जबकि आराजी न0 815 मौजा तपा की भूमि से कोई भी रास्ता नही था वर्तमान में आराजी न0 815 के 17 बटांक हो गये है और 815 के 17 लोग भू–स्वामी है आराजी न0 815/1क5, रकबा 0.10ए. व 815/2ख रकबा 0.13ए. के भू–स्वामी निगराकार है जहां कोई भी रास्ता प्रचलित नही है ना प्रचलित था ना ही राज़स्व अभिलेखों में कोई दर्ज है गैरनिगरानीकार मात्र परेशान करने की नियत से निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाया है अन्य को पक्षकार नही बनाया गया है इसमें पक्षकार के कुसयोजन का दोष था जिसे दृष्टगत ना करते हुए अधीनस्त न्यायालयों ने अहम भूल की है अतः दोनों अधीनस्त न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R**.184–**III**/12 जिला–सतना

राजकुमार विश्वकर्मा/ सुशील कुमार शुक्ला

(1)	(2)	(3)
24.01.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विपिन त्रिपाठी एड0 उपस्थित। उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश करने पर प्रकरण आज लिया गया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनूरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	